

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या-50

दिनांक- 24.09.2020

थाना रामनगर पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे/चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये कम्प्यूटर उपकरण, 245 ग्राम अवैध मारफीन व 01 अदद देशी तमंचा मय कारतूस बरामद

थाना रामनगर पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे/चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये कम्प्यूटर उपकरण, 245 ग्राम अवैध मारफीन व 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर थाना सतरिख व रामनगर पर पंजीकृत अभियोगों के अनावरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हिमांशु पुत्र मेवालाल प्रजापति निवासी ग्राम सन्दौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी ।
2. राहुल पुत्र जगमोहन राजपूत निवासी ग्राम सन्दौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी:-

- 1- 01 अदद की-बोर्ड
- 2- 03 अदद माऊस
- 3- 01 अदद बैटरी
- 4- 245 ग्राम अवैध मारफीन
- 5- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

जनपद में घटित चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0गौतम के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रामनगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिसके क्रम में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना तंत्र विकसित करते हुए लगातार अथक प्रयास किया जा रहा था ।

इसी क्रम में दिनांक 24.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक रामनगर श्री रामचन्द्र सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना को विकसित करते हुए 02 शातिर लुटेरों/चोरों 1. हिमांशु पुत्र मेवालाल प्रजापति निवासी ग्राम सन्दौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी, 2. राहुल पुत्र जगमोहन राजपूत निवासी ग्राम सन्दौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को अपना पेट्रोल पम्प बुढ़वल के पास थाना रामनगर से समय 03.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद की-बोर्ड, 03 अदद माऊस, 01 अदद बैटरी, 245 ग्राम अवैध मारफीन, 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया जो थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0-196/2020 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-435-436/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0-437/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि दिनांक-21.09.2020 को समय करीब 12.00 बजे दिन में बुढ़वल के पास रोड पर एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला से अभियुक्तगण द्वारा पर्स लूटने का प्रयास किया गया था परन्तु लुटेरों की मोटर साइकिल के अनियन्त्रित होकर गिर जाने के कारण एवं भीड़ के आ जाने से घटना कारित करने में सफल नहीं हो सके थे । इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-432/2020 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि 14/5.08.2020 की रात्रि में मान्टेसरी स्कूल लक्ष्मणपुर थाना सतरिख में हम लोगों द्वारा बैटरी, माऊस तथा कम्प्यूटर का कुछ सामान चोरी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सतरिख में मु0अ0सं0-196/2020 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त हिमांशु द्वारा विगत 02 माह से उड़ान कम्पनी सफेदाबाद लखनऊ में किराने के सामान को लोड करने का कार्य किया जा रहा था एवं राहुल द्वारा टाटा कम्पनी देवा रोड में गैस बिल्डिंग का कार्य किया जाता था ।

पुलिस टीम:-

1. श्री रामचन्द्र सरोज प्रभारी निरीक्षक रामनगर जनपद बाराबंकी
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
3. उ0नि0 श्री रघुबीर सिंह थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
4. उ0नि0 श्री विश्वबन्धु यादव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
5. कां0 सौरभ यादव,कां0 इन्द्रजीत यादव थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
6. कां0 रोहित कुमार,कां0 अखिलेश यादव, कां0 जीयूत कुमार थाना रामनगर जनपद बाराबंकी